राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020–21/अलेसे–II/ 1429 दिनांकः– 10/02/2021

आदेश संख्या 40/2020–21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी वर्ष 2013–14) की सिफारिशों के आधार पर श्री तेजू राम वर्मा, (अनु. जाति.) कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट सं. 69/92स्पे., लिंक नं. 5828) जन्म तिथि 08 सितम्बर, 1965 का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार (वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II) के रिक्त पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके विरूद्ध एसीबी प्रकरण 130/04 में दिए गए निर्णय के क्रम में सीसीए नियम 16 में विचाराधीन प्रकरण बकाया होने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री तेजू राम वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को उनके विरूद्ध लंबित उक्त जांच में जिला कलक्टर टोंक के आदेश संख्या एफ.1(6) वि.जां/स्थापना/20/4606 दिनांक 31.08.2016 द्वारा आरोप निर्विवाद और संदेह से परे साबित नही होने के कारण प्रकरण समाप्त किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पद की वेतन श्रृंखला 9300–34800 (पे बैण्ड –2), ग्रेड पे–3600/– में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। श्री तेजू राम वर्मा (मेरिट सं. 69/92स्पे.) की वरिष्ठता श्री उरजा राम, अजा. (मेरिट सं. 68/92स्पे.) एवं श्री किशन लाल भीमवाल, अजा. (मेरिट सं. 72/92स्पे.) के मध्य रहेगी।

श्री तेजू राम वर्मा को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन के वर्ष की प्रभावी तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री तेजू राम वर्मा, कनिष्ठ लेखाकार वर्तमान पदस्थापित कार्यालय उपकोषाधिकारी, मालपुरा, टोंक की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर एतद् द्वारा की जाती है। श्री वर्मा का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मालपुरा, टोंक में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर किया जाता है।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)(पदोन्नति)/2020–21/अलेसे–II/ 1429 दिनांकः– 10/02/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक–III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे–II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग / गोपनीय अनुभाग / वरिष्ठता।
8. श्री...सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II कार्यालय.............................. ....।
9. रक्षित पंजिका / आदेश पंजिका।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order